

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठारीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./108/2024

1. गोविन्द पुत्र छोदू जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. सेवाराम पुत्र छोदू जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. हीरालाल पुत्र छोदू जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रामधन पुत्र लादू जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. ककू पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. जमना पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. प्रहलाद पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. मिश्री पुत्र गीला जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. मिटू पुत्र काना जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. रामकन्या पत्नी स्व0 गोपाल जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. रामराय पुत्र गीला जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
12. रामलाल पुत्र काना जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. शिवराज पुत्र गीला जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. संजू पुत्री महादेव जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
15. समता पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
16. सुरेश पुत्र महादेव जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
17. सायरी पत्नी स्व0 महादेव जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
18. सांवरा पुत्र काना जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
19. सीमा पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. रतन पुत्र काना जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. चन्ता पुत्र काना जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. सुखलाल पुत्र उगमा जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रतन पुत्र भैरू जाति जाट निवासी पीपलियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी



अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-31.07.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य  
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा पीपलियां पटवार क्षेत्र पीपलियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 248 में दर्ज खसरा नं. 103 रकबा 0.15, खसरा नं. 1469 रकबा 0.94, खसरा नं. 1500 रकबा 0.89, खसरा नं. 1501 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 1856 रकबा 3.89, खसरा नम्बर 1856/1992 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 1877

14  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)

रकबा 0.81 और खसरा नं. 91 रकबा 1.53 कुल किता 09 कुल रकबा 8.41 हैक्ट और खाता संख्या 143 दर्ज खसरा नं. 1871 रकबा 1.80, खसरा नं. 1872 रकबा 0.04, खसरा नं. 1875 रकबा 0.99 और खसरा नं. 1879 रकबा 0.20 कुल किता 04 कुल रकबा 3.03 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 04 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम पीपलियां के खाता संख्या 248 तथा 143 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा पीपलियां पटवार क्षेत्र पीपलियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 248 में दर्ज खसरा नं. 103 रकबा 0.15, खसरा नं. 1469 रकबा 0.94, खसरा नं. 1500 रकबा 0.89, खसरा नं. 1501 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 1856 रकबा 3.89, खसरा नम्बर 1856/1992 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.81 और खसरा नं. 91 रकबा 1.53 कुल किता 09 कुल रकबा 8.41 हैक्ट और खाता संख्या 143 दर्ज खसरा नं. 1871 रकबा 1.80, खसरा नं. 1872 रकबा 0.04, खसरा नं. 1875 रकबा 0.99 और खसरा नं. 1879 रकबा 0.20 कुल किता 04 कुल रकबा 3.03 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय, केकड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय (केकड़ी)